न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नसीराबाद, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारीः– नवीन मीणा
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक अपील संख्याः– 11/2025
सीआईएस संख्याः– 11/2025
CNR NO –RJAJ290004122025

रामजी लाल पुत्र श्री हरचन्द आयु 41 साल निवासी ग्राम भामोलाव पुलिस थाना अराई, जिला अजमेर

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक अजमेर।

– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता 415 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्व निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 27-06-2025 जो श्रीमती सुमन गिठाला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नसीराबाद द्वारा दांडिक प्रकरण संख्या 225/2014 बअनुवान सरकार बनाम रामजील लाल में पारित किया गया

उपस्थितः–

1– श्री राजेश लखन अधिवक्ता– अपीलार्थी/अभियुक्त

2– अपर लोक अभियोजक–प्रत्यर्थी/राज्य सरकार

3– श्री के एल साहू –अधिवक्ता परिवादिया

निर्णयः **दिनांकः– 07-03-2026**

01– अपीलार्थी/अभियुक्त ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध यह अपील अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 225/2024 राज्य सरकार बनाम रामजी लाल में पारित निर्णय/दण्ड़ादेश दिनाक 27-6-2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिया श्रीमती पुष्पारानी चौधरी का एक टाईपशुदा परिवाद 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस आशय का इस आशय का प्रसतुत किया गया कि परिवादिया का विवाह अभियुक्त के साथ दिनांक 27.04.2009 को सामाजिक रीति–रिवाज के साथ ग्राम सराधना में सम्पन्न हुआ था। शादी के समय उसके माता–पिता ने अपनी हैसियत अनुसार उसे स्त्रीधन दिया था, जो कि अभियुक्त के पास है। विवाह के दूसरे ही दिनांक 28.4.2009 को आरोपी संख्या 1 ने परिवादिया को कहा कि "मैं नामर्द हूं तुम मुझे तलाक दे दो वरना सारी जिन्दगी दुःख पाएगी, जिस पर परिवादिया ने सोचा की विवाह हुए अभी एक ही दिन निकला है धीरे–धीरे सब ठीक हो जाएगा तथा यह बात परिवादिया ने अपने पिताजी को बताई तो परिवादिया के पिताजी ने आरोपी संख्या 1 को बुलाया और कहा कि डॉक्टर को दिखाएगे, जिस पर दिनांक 01.05.2009 को आरोपी संख्या 1 की डॉ. अशोक मेहरड़ा से जांच करवाई गई, जिसका खर्चा भी परिवादिया के पिता ने ही उठाया, परन्तु उक्त रिपोर्ट नामर्द नहीं होने की आने पर परिवादिया ने आरोपी संख्या 1 से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आरोपी संख्या 1 ने कहा कि तेरे पिता ने शादी में मोटरसाइकिल व 2 लाख रूपये नकद नहीं दिये, इसलिए ऐसा नाटक किया है। तेरे पिता से उक्त राशि दिलवा नहीं तो मुझे तलाक दे दे, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। परिवादिया ने सोचा की उसका घर बना रहे तथा धीरे सब ठीक हो जाएगा। आरोपी संख्या 1 परिवादिया को छोड़कर प्रशिक्षण हेतु खेरवाड़ा चला गया, जब भी परिवादिया आरोपी संख्या 1 से फोन पर बात करना चाहती तो उसका फोन व्यस्त आता और ना ही वह कभी भी परिवादिया के फोन का जवाब देता था। परिवादिया ने उक्त बात आरोपी संख्या 2 से 4 को बताई तो उन्होनें आरोपी संख्या 1 को समझाने की बजाए उल्टा परिवादिया को ही ताने मारे कि ऐसे भिखारी खानदान में शादी हो गई है, मेरे बेटे के लिए तो अच्छे से अच्छे घर का रिश्ता आ रहा था और जब तक तू तेरे पिता से मोटरसाइकिल व 2 लाख रूपये लाकर नहीं देगी, तब तक आरोपी संख्या 1 तेरे साथ नहीं रहेगा। दिनांक 17.06.2010 को आरोपी संख्या 1 अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर गांव भामोलाव आया तो फिर नामर्द होने का नाटक किया तथा परिवादिया को तलाक देने के लिए जोर डालने लगा, जिस पर परिवादिया ने विरोध किया तो आरोपी संख्या 1 ने परिवादिया को जान से मारने की धमकी दी, जिस पर परिवादिया पुलिस में

रिपोर्ट कराने जाने लगी तो आरोपीया संख्या 2 ने परिवादिया को बहला–फुसलाकर रोक लिया। इसी बीच में परिवादिया गर्भवती हुई तो आरोपी संख्या 2 ने कहा कि "मेरा बेटा तो नामर्द है यह बच्चा किसका है तथा परिवादिया को अपशब्द कहे तथा गालियां देते हुए परिवादिया के साथ मारपीट भी की, इस पर परिवादिया ने अपने पिता को फोन किया, जिस पर परिवादिया के पिताजी व परिवादिया के भाई कुलदीप, चाचा जगदीश को साथ लेकर गांव भामोलाव आये तथा आरोपी संख्या 1 को समझाया कि अपनी माता को समझाओ वह परिवादिया के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करे तथा अपनी पत्नी के साथ शान्तिपूर्वक रहो। परिवादिया के साथ सही व्यवहार नहीं होने व आराम नहीं मिलने के कारण परिवादिया का गर्भपात हो गया, जिस पर आरोपी संख्या 3 ने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया और ना ही आरोपी संख्या 1 व 2 ने इस बात की कोई सुध ली। थोड़े समय पश्चात् अचानक परिवादिया के पेट में दर्द उठा, जिस पर परिवादिया ने उक्त बात अपने ससुराल वालों अभियुक्त संख्या 1 व 2 को बताई, जिस पर आरोपी सख्या 1 व 2 ने कोई ध्यान नहीं दिया ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया, परिवादिया दूबारा गर्भवती थी, जब परिवादिया के पिता ने आरोपी संख्या 1 को सराधना बुलाया तो आरोपी संख्या 1 नहीं आया तथा परिवादिया के पिता ने परिवादिया का ईलाज करवाया। कुछ समय पश्चात् दोबारा आरोपीगण परिवादिया के साथ तानाकशी व उसे तलाक देने पर दबाव डालने लगे तथा 2 लाख रूपये व मोटर साइकिल की मांग करने लगे। दिनांक 10.03.2011 को आरोपी संख्या 1 ने परिवादिया से तलाक देने तथा 2 लाख रूपए व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर झगड़ा किया तथा परिवादिया के साथ मारपीट की तथा परिवादिया के गर्भवती पेट पर लात मारी, जिससे परिवादिया दर्द से कहारने लगी, जिस पर परिवादिया की हालत नाजुक देखते हुए तथा अपनी गलती को छुपाने के लिए परिवादिया को नगर हॉस्पिटल में ईलाज हेतु ले जाया गया। परिवादिया ने सब कुछ सहते हुए दिनांक 17.05.2011 को संत फ्रांसिस अस्पताल अजमेर में डॉ. जानकी के निरीक्षण में ऑपरेशन से एक पुत्र को जन्म दिया, जन्म के तुरन्त बाद ही बच्चे को नर्सरी में रखा गया, क्योंकि बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं था, जिसका भी सारा खर्चा परिवादिया के पिता ने ही वहन किया। परिवादिया के पुत्र होने की सूचना जब आरोपीगण को दी गई, तो आरोपीगण ने परिवादिया की कोई सुध नहीं ली तथा ना ही मिलने आए। दिनांक

17.06.2011 को परिवादिया के पुत्र को खून की जरूरत पड़ी तो आरोपी संख्या 1 को बुलाने पर भी नहीं आया और फोन स्वीच ऑफ कर लिया। दिनांक 06.12.2011 को आरोपी संख्या 1 भामोलाव आया और परिवादिया के साथ मारपीट कर उससे अलमारी की चाबी छीन ली और परिवादिया की अलमारी में रखा 14 तोला सोना लेकर चला गया। परिवादिया ने अपने पिता को फोन किया और सारी बात बताई, जिस पर परिवादिया के पिता उसे सराधना लेकर आ गए। दिनांक 10.12.2011 को आरोपी संख्या 1 परिवादिया के पिता के यहां सराधना आया और घर के सामने खड़ा होकर गाली–गलौच करने लगा और कहा कि यह बच्चा मेरा नहीं है पुष्पा के पिता का है। आरोपी संख्या 1 रामजीलाल के नाजायज संबंध उसने भामोलाव की एक अविवाहित लड़की जिसका नाम रेखा से है, जिसे आरोपी संख्या 1 दिनांक 29.09.2012 को भगाकर ले गया था, जिस पर आरोपी संख्या 1 के खिलाफ एक मुकदमा संख्या 116/12 धारा 363, 366, 376, 384 भा.द.सं. के तहत रेखा ने दर्ज करवाया, जिसमें कुमारी रेखा ने अपनी रिपोर्ट में आरोपी संख्या 1 पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया, पुलिस ने दौराने अनुसंधान कुमारी रेखा के बयान 164 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत श्रीमान् मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दर्ज करवाए, जिसमें कुमारी रेखा ने रामजीलाल आरोपी संख्या 1 से चार साल से प्यार करने की बात कहते हुए अपनी इच्छा से रामजीलाल के साथ जाने की बात कही और भविष्य में रामजीलाल के साथ ही रहने की इच्छा जाहिर की तथा रेखा ने यह भी बताया कि उसके परिवार वालों के दबाव में आकर उसने रामजीलाल के विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जबकि उसके व रामजीलाल के सम्बन्ध करीबन 4 वर्षों से चल रहे हैं। रेखा आरोपी संख्या 1 को बचाने के लिए अपने 164 दं.प्र.सं. के बयानों से मुकर गई। आरोपीगण द्वारा इतना सब कुछ जानते हुए भी आरोपी संख्या 1 का विवाह परिवादिया के साथ किया, ताकि परिवादिया जो कि अपने पिता की एक ही बेटी है तथा उसके पिता उसके लिए अच्छा दान–दहेज देगे जो कि राजकीय सेवा में है। जब आरोपीगण को उनकी इच्छा के अनुसार दान दहेज नहीं मिला तो वह परिवादिया को प्रताड़ित करने लगे तथा कहने लगे कि आरोपी संख्या 1 को तलाक दे देते, हम इसकी दूसरी शादी करके अच्छा दहेज प्राप्त कर सकेंगे। इस कारण ही आरोपी संख्या 1 ने बार–बार परिवादिया से झूठ कहा कि वह नामर्द है तथा कुमारी रेखा

के साथ संबंध बनाए रखे। आरोपी संख्या 3 ने परिवादिया व उसके माता–पिता को कहा कि अब जब तक तुम हमें 20,00,000/– रूपये व एक फोर्ड माइकॉन कार नहीं देते हो, तब तक तुम्हारी बेटी को नहीं लेकर जाएंगे तथा इसका बोझ तुम ही सम्भालो। आरोपीगण ने परिवादिया के साथ 2 लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक क्रूरता कारित करी है, जो कि आज तक निरन्तर जारी है, इसलिए परिवदिया को विवश होकर यह परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ रहा है। दिनांक 26.6.2013 को परिवादिया और उसके पिताजी आरोपी संख्या 1 के खिलाफ हुई पुलिस कार्यवाही (विभागीय जांच) की कॉपी लेने पुलिस अधीक्षक ऑफिस अजमेर गए थे, जहां पर उन्हें सुबह 9.00 बजे आरोपी संख्या 1 मिला और कहने लगा कि तुम्हें मेरे भाई, मां और भाभी की बात समझ में नहीं आई, तो मैं सराधना आकर समझाऊं क्या। अब तो तुमने मेरी पुलिस कार्यवाही कर दी है, जिससे मेरा एक इन्क्रीमेन्ट रुका है। इसलिए 2 लाख रूपये और 1 मोटरसाइकिल से काम नहीं चलेगा, अब तो वही देना होगा जो मेरे भाई, मां, भाभी ने आकर मांगा है, 20 लाख रूपये व एक फोर्ड माइकॉन कार और मेरी भी पूरी यही मांग है। वरना सम्भालों अपनी बेटी व दोयते को, मुझे क्या लेना–देना। मेरे पास तो मेरी पत्नी रेखा है, तुम्हारी बेटी की क्या जरूरत है, मुझे तो 20 लाख रूपये व फोर्ड माइकॉन कार मिलने पर ही तुम्हारी बेटी (पुष्पा) के बारे में सोचूगा। यह मेरा अन्तिम फैसला है...इत्यादि।

03. परिवादिया के उक्त परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आरक्षी केन्द्र मांगलियावास को प्रेषित किया गया जहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 119/2013 पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर विचार के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये और समझाये गया तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया और अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू 01 से पीडब्ल्यू 15 को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श

पी–01 से प्रदर्श पी–26 प्रदर्शित करवाए गए। तत्पश्चात अभियुक्त के कथन धारा 313 द.प्र.स. मे लेखबद्ध किये गये, अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया।

04– बहस अंतिम सुनी जाकर अभियुक्त रामजी लाल को धारा 498 ए भा०द०सं० के अपराध की दोषसिद्ध में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 10000/रूपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

05– विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त रामजी लाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। बहस अपील सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

06– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये है कि गवाह पी.ड.1 पुष्पारानी चौधरी जो कि परिवादिया है ने विशेष रूप से मांग के बारे में दो लाख रूपये व मोटरसाईकिल का तथ्य बताया है इसके अलावा अभियुक्तको नामर्द होने का तथ्य बताया है जब कि डाक्टरी जांच के अनुसार अभियुक्त नामर्द नहीं है, स्वयं परिवादिया का अपने पति पर लांछन लगाना उसके स्वयं द्वारा अपने पति पर किया गया क्रूरतापूर्ण व्यवहार है, इसके अलावा दो लाख रूपये की मांग किस दिनांक किस समय पर की इस तथ्य का पूर्ण लोप है । परिवादिया ने तुच्छ आचरण के साथ अभियुक्त पर आरोप लगाये है । परिवादिया पी.ड.1 का यह भी कथन कि रिपोर्ट हो जाने के बाद विभागीय कार्यवाही होकर इन्क्रीमेन्ट रोक दिया गया तो विभागीय जांच के दौरान अभियुक्त के भाई भाभी द्वारा बीस लाख रूपये की मांग किये जाने का कथन किया है जो किसी प्रकार से विश्वसनीय नहीं है । इन तथ्यों को आधारित कर विचारण न्यायालय ने जो आक्षेपित निर्णय पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है । गवाह पी.ड.1 ने स्वयं के कथनों में मारपीट किये जाने का कथन किया है किन्तु किसी प्रकार का चोट प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है । जिससे स्पष्ट कि परिवादिया ने बढा चढाकर अभियोजन की कहानी कथन की है जो किसी प्रकार

से विश्वसनीय नहीं है । गवाह पी.ड.1 ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त विवाहित लडकी रेखा को लेकर गया था उसने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था परन्तु उक्त प्रकरण में पीडिता ने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत हुए बयानों में कोई गलत काम नहीं किया जाना कथन किया है इसके अलावा अभियुक्त स्वयं ने भी यह स्पष्ट कथन किया है कि वह रेखा के साथ नहीं रहता है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर विधिक भूल की है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड.2 सांवर लाल जो कि परिवादिया के पिता है ने परिवादिया के बताये अनुसार ही साक्ष्य देता है इस प्रकार पी.ड.2 की साक्ष्य सुनी सुनाई बातों पर आधारित है जो विश्ववसनीय नहीं है । इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा परिवादिया पी.ड.1 से मुकदमा रेखा व रामजी लाल के सम्बन्ध में होने से दर्ज कराया है इस तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि दहेज की मांग को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ न ही दहेज की मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है । पत्रावली पर उपलब्ध गवाह पी.ड.3 हंसराज पुत्र श्री श्रवण पी.ड.4 हंसराज पुत्र श्री माधू, पी.ड.5 छीतर, पी.ड.6 तुलसीराम, पी.ड 8 मधू पी.ड.12 काना राम पी.ड.13 दातार सिंह को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है जिन्होने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में पी.ड.9 जगदीश परिवादिया का चाचा, पी.ड.10 कुलदीप कुमार परिवादिया का भाई, पी.ड.11 गीता परिवादिया की माता पी.ड.14 सुरेश खोजा परिवादिया का भाई है यह सभी गवाह हितबद्ध गवाह होकर परिवादिया के कहे अनुसार ही कथन किया जाना कथन करते है । इन तथ्यों पर गौर नहीं कर विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित कर विधिक भूल की है । अभियोजन पक्ष को आपराधिक तथ्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित के सिद्वान्त पर पारित किया जाना आवश्यक था जबकि कमजोर मौखिक साक्ष्य जो संदेहजनक साक्ष्य पर मानकर निर्णय देने में भारी भूल की है। अंत में अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

07– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादीया का यह निवेदन रहा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि नहीं है। अतः अपील

खारिज किये जाने का निवेदन किया।

08– अपील के निस्तारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

आया विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में निर्णय दिनांक 27–6–2025 द्वारा दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है अथवा नहीं?

09– उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक साक्ष्य का प्रश्न है, प्रकरण मे अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करे उससे पूर्व यहां यह उल्लेखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडित किया है उक्त दण्डादेश को ही अपीलार्थी ने अपील के माध्यम से चुनौती दी है,ऐसे में विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोपित अपराध बाबत आई साक्ष्य का ही सुक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना है ।

10– इस बाबत प्रकरण में अहम गवाह परिवादिया पी.ड.1 पुष्पा रानी चौधरी है जो कि प्रकरण की स्टार विटनेस है इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसकी शादी 27.4.2009 में रामजीलाल के साथ सराधना में हुई थी। शादी में उसे जेवर 6 तोला सोना, 1/2 केजी चांदी, घरेलू सामान सोफा, टीवी, कूलर, फ्रीज, करीब 6 लाख रूपए का सामान दिया था। 28.4.09 को पहली बार ससुराल गई थी। उसी दिन रात को उसके पति ने उसे कहा कि वह नामर्द है। उसने कारण पूछा तो इन्होंने कहा कि वह कई डॉक्टरों को दिखा चुका है, कोई इलाज नहीं है। वह मानसिक रूप से परेशान हो गई। उसने उसके पापा को ये बात बताई। 30.4.09 उसका भाई व चाचा जगदीश उसे वापस लेने आ गए थे। वह वापस सराधना आ गई। उसके पिताजी ने रामजीलाल के मामा दूलाराम व भैया नंदराम को फोन पर ये बात बताई। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। 1.5.09 को डॉक्टर अशोक मेहरा जो रति रोग विशेषज्ञ है। आगे इस गवाह ने

यह कथन किया है कि जांच पोजेटिव थी कि रामजीलाल नामर्द नहीं थे। उसके पापा व उसे शांति रही। फिर ये उसे 14 तारीख को सराधना लेने आ गए थे। इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसने रामजीलाल से पूछा कि जब आप नामर्द नहीं हो तो ऐसा व्यवहार उसके साथ क्यों किया? इन्होंने जवाब दिया कि तेरे पापा ने 2 लाख रूपए दहेज में और मोटरसाईकिल नहीं दी, इसलिए ये जहां थे, उसे साथ नहीं लेकर गये और कहा कि तुम आ जाना। इस बाबत् उसके परिवारवालों से बात करने पर दहेज की मांग किया जाना बताया है तथा कथन किए हैं कि प्रशिषण 17.6.10 को खत्म होने के बाद भी रामजीलाल ने कहा कि वह नामर्द है। तलाक देदे, नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे ही दुख पाएगी। उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी कि पैसे तो तो मोटरसाईकिल लानी पड़ेगी। वह उसी दिन पुलिस में रिपोर्ट कराने जाने लगी तो सास ने रामजीलाल को समझाया कि तेरी पुलिस की नौकरी चली जाएगी। अभी शांति रख, पैसे तो बाद में निकलवा लेंगे। उसे बहला–फुसला कर रोक लिया। उक्तगवाह का यह भी कथन रहा है कि गर्भपात होने के कथन भी किए हैं। गवाह ने आगे कथन किए हैं कि वह गर्भपात के दूसरे दिन सराधना आ गई। पापा ने सराधना हॉस्पीटल दिखाकर इलाज कराया। रामजीलाल को फोन किया तो उसने आने से मना कर दिया और कहा कि पैसे व मोटरसाईकिल दो फिर आउंगा। फिर ट्रीटमेंट के 5–10 दिन बाद पापा उसे ससुराल बाम्बोला छोड़कर गए, लेकिन ससुराल वाले उसी बात पर पैसे व मोटरसाईकिल की मांग पर अड़े रहे तथा ताने मारने लगे। 17.5.11 को डॉक्टर जानकी के निर्देशन में एक पुत्र को जन्म सेंट फ्रांसिस में दिया। बच्चे को सांस की प्रोबल्म थी, उसे नर्सरी में रखा गया। उसके बाद भी रामजीलाल उसे संभालने नहीं आए, सारा खर्चा उसके पापा ने उठाया। रामजीलाल ने उसकी व बच्चे की खैर–खबर नहीं ली। 6.12.11 को रामजीलाल उसके ससुराल में आया। उसके साथ मारपीट की तथा उसकी अलमारी की चाबी उससे छीन ली। अलमारी में रखा 14 तोला जेवर सोना निकालकर ले गया। अपनी सास को ये बात बताई, सास ने कहा कि सोने चांदी की बात करती है, पैसे तो लाई नहीं, उसका बेटा ऐसा नहीं है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया है कि उसके बच्चे को सास ने जलाने की कोशिश की, जिसको उसने बचाया था, आज भी उसके बाये कंधे पर लकड़ी के जलने के निशान है। वह बच्चे को लेकर रो रही थी, तो सास ने धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। गवाह ने यह भी कथन किया कि उसने अखबार में पढ़ा तथा

उसके पास फोन भी आया था कि तेरे पति ने ऐसी घटना की है तथा ये भी पढ़ा था कि रामजीलाल के ऊपर रेखा ने बलात्कार का केस भी दर्ज करवा रखा है तथा मजिस्ट्रेट के सामने रेखा ने बयान पलट दिया कि रामजीलाल ने ऐसा कुछ नहीं किया तथा बयानों में जाहिर किया कि 4 साल से रामजीलाल से प्यार करती है। वह मांगलियावास थाने में भी मुकदमा दर्ज कराने गई कि रामजीलाल अवैध रूप से लड़की के साथ रह रहा है तथा दहेज की मांग करता है। वहां पर भी इसने अपनी पहुंच लगाकर उसका मुकदमा दर्ज होने नहीं दिया। उक्त गवाह ने आरोपित अपराध के बाबत आगे यह भी कथन किया है कि जेठ ने कहा कि अब दो लाख रूपए से काम नहीं चलेगा। अब बीस लाख रूपए व कार देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्क्रीमेन्ट रूका दिया है। ससुराल वालों ने उनके साथ गाली–गलौच किया। उसने इस्तगासा के रूप में मुकदमा दर्ज कराया। इस्तगासा प्रदर्श पी 01 में ए से बी हर पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर है। परिवाद के बाद जो सामान लौटा दिया, उसपे उसने हस्ताक्षर करके थाने में दे दिए, फर्द प्रदर्श पी 02 है, जो सामान नहीं लौटाया उसकी भी लिस्ट बनाई है, जो उसे दिलानी की कृपा करे। फोटो स्त्रीधन के संबंध में पेश किए।

उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि उसकी शादी 27–04–2009 को हुई थी, आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि रामजी लाल की नौकरी 2008 में राजस्थान पुलिस में सिपाही के पद पर लग गई थी । इस प्रकार विवाह के पूर्व ही अपीलार्थी राजकीय सेवा में राजस्थान पुलिस में नियुक्त हो चुका था । आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि विवाह के बाद अपने ससुराल 28–04–2009 को अपने पीहर चली गई, रामजी लाल 29–04–2009 को सुबह ही अपने घर से चले गये । दिनांक 1–5–2009 को मुलजिम के कहने पर **मेरे पिता के कहने पर नामर्दनगी बाबत अजमेर में जे एल एन अस्पताल में चैक अप करवाने आया था । इस गवाह ने यह कथन भी किया कि मुलजिम के चैकअप कराने की जो रिपोर्ट आई थी वह रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, इस गवाह ने पत्रावली देखकर कहा कि उसकी रसीद भी नहीं है** । इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि रिपोर्ट मौखिक दी थी ।

उक्त गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में दूसरे आरोप बाबत यह कथन किया है कि मुझे मुलजिम के महिला रेखा के नाम की लडकी से सम्बन्ध होने का तथा

उसके बलात्कार होने का मुकदमा का पता चला था, इस गवाह ने यह कथन किया है **कि रेखा के 164 के बयान में रेखा ने मजिस्ट्रेट के सामने कोई आरोप नहीं लगाया था, उक्त मुकदमें में पुलिस ने एफ आर दी थी, आगे यह भी स्वीकार किया है कि कोर्ट ने एफ आर स्वीकार कर दी ।**

उक्त गवाह ने आगे प्रतिपरीक्षण में अपीलार्थी द्वारा उसका जबरन गर्भपात करवाये जाने का आरोप लगाया है उसके बाबत उक्त गवाह ने यह कथन किया है कि **मैने किसी डाक्टर या अस्पताल में गर्भपात नहीं करवाया बल्कि स्वत ही गर्भपात हो गया था । इस गवाह ने कथन किया है कि गर्भपात 2010 में हुआ पर तारीख मुझे ध्यान नहीं है ।** इस गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि शादी के बाद 17–06–2010 तक मैं आधे समय अपने पीहर में रह रही थी और आधे समय ससुराल में रहती थी ।

11– जहां तक उक्त गवाह के कथनों के समर्थन का प्रश्न है, इस बाबत अभिलेख पर आई साक्ष्य का विश्लेषण करे गवाह पी.ड.2 सांवर लाल चौधरी जो कि परिवादिया का पिता है उक्त गवाह ने भी परिवादिया के कथनो के अनुसार ही मुख्य परीक्षण में कथन किया है । प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह कहा सही कि मेरे बयान प्रदर्श डी 2 में यह नहीं है कि **मेरी बेटी ने कहा हो कि मैं बी एस सी एम एस सी करी हुई हूॅ इसलिए बराबर की योग्यता वाला लडका ढूंढना**, इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि पुष्पारानी उसकी इकलौती पुत्री है । पुष्पा अंतिम बार ससुराल किस तारीख को गई आज तारीख याद नहीं है । आगे इस गवाह ने यह कथन किया है कि **रामजी लाल रेखा को लेकर भाग गया इसलिए ही यह मुकदमा दर्ज करवाया था** ।

12– इसी प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड.7 मैना जो कि परिवादिया के गांव की है इस गवाह ने मुख्य परीक्षण् के विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण् में यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि **रामजी लाल पैसे मांगता था व पुष्पा को परेशान करता था यह बात उसे पुष्पा ने ही बताई थी ।** इस प्रकार यह गवाह परिवादिया के कहे अनुसार ही कथन करती है। इसी प्रकार गवाह गवाह पी.ड.9 जगदीश जो कि परिवादिया का चाचा है इस गवाह ने भी मुख्य परीक्षण् के विपरीत प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि यह कहना

सही है कि **रामजी लाल की नार्मद होने वाली बात सर्वप्रथम पुष्पा ने बताई थी ।** आगे इस गवाह ने यह कथन किया कि यह सही है कि वह पुष्पा के मैटर में उसके कहने से ही बयान दे रहा है । इसी प्रकार गवाह पी.ड.10 कुलदीप ने अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि **यह सही है कि नार्मद होने वाली बात सबसे पहले उसकी बहन पुष्पा ने बताई थी** । आगे इस गवाह ने यह कथन किया है कि **यह मुकदमा क्यों दर्ज कराया कब दर्ज कराया मुझे पता नहीं है** । इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि रामजी लाल रेखा को लेकर नहीं भागता तो मुकदमा दर्ज नहीं होता । इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी.ड.11 गीताचौधरी जो कि परिवादिया की माता है उसने भी अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया कि **उसके सामने रामजी लाल ने उसकी बेटी के साथ मारपीट नहीं की** । आगे इस गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि **रामजी लाल रेखा को लेकर भाग गया और उसे नहीं छोड रहा था तो मुकदमा दर्ज करा दिया।** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड.14 सुरेश खौजा जो कि परिवादिया का भाई है उसने भी अपने मुख्य परीक्षण में तो आरोपित अपराध बाबत तथ्य अभिवचित किये है किन्तु प्रतिपरीक्षण में मेरे पुलिस में बयान नहीं हुए थे । इस तथ्य को भी स्वीकार करता कि वह आज पुष्पा के साथ ही बयान देने आया है । न्यायालय के विनम्र मत में उक्त सभी गवाहान परिवादिया के निकटतम रिश्तेदार है तथा उक्त गवाहान ने परिवादिया के कथनों के अनुसार ही कथन किये है । न्यायालय के विनम्र मत में उक्त गवाहान चूंकि परिवादिया के निकटतम रिश्तेदार है इसलिए उनका हितबद्ध होना स्वाभाविक है उक्त गवाहान की साक्ष्य न्यायालय के विनम्र मत में अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में ही आती है । इसके अतिरिक्त उक्त गवाहान ने अपने कथनों में पुष्पा के बताये अनुसार ही कथन किये जाने का कथन करते है । ऐसे में उक्त गवाहान की साक्ष्य मात्र को ही आधारित कर आरोपित अपराध बाबत सम्यक निष्कर्ष पर पहुंचा जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

13– प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अनुसंधान अधिकारी पी.ड.15 रविन्द्र सिंह के कथनों का अवलोकन करे तो उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान के दौरान संकलित तथ्यों एवं साक्ष्य बाबत अभिवचन किये है किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि **रामजी लाल द्वारा रेखा को ले जाने के पश्चात ही परिवादिया पुष्पा ने अभियुक्त के विरूद्व यह**

मुकदमा दर्ज कराया । आगे इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि परिादिया व उसके पिताद्वारा स्त्रीधन का जो भी सामान लिखाया है उस सामान का कोई बिल न तो अनुसंधान में दिया ना ही पत्रावली पर मौजूद है ।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहान पी.ड.3 हंसराज जो कि अभियुक्त की फर्द गिरफतारी का गवाह होकर औपचारिक गवाह है । इसी प्रकार गवाह पी.ड.4 हंसराज, पी.ड.5 छीतर, पी.ड.6 तुलसीराम, पी.ड.8 मधू, पी.ड.12 कानाराम एवं पी.ड.13 दातार सिंह ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नही किया तथा उक्त गवाहान पक्षद्रोही रहे है ।

15– न्यायालय के विनम्र मत में जहां तक अपीलार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध का प्रश्न है, न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन को यह तथ्य प्रमाणित करना आवश्यक था कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया के पति या नातेदार होते हुए उससे अवैध रूप से दहेज की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया गया। अभियोजन की साक्ष्य का समग्रता से अवलोकन करे तो स्वयं परिवादिया पी.ड.01 पुष्पा रानी चौधरी, पी.ड.2 सांवर लाल, पी.ड. 9 जगदीश, पी.ड.10 कुलदीप एवं पी.ड.11 गीता चौधरी एवं पी.ड.14 सुरेश खोजा जो कि परिवादिया के नातेदार है। उक्त गवाहान ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन की कहानी के विपरीत जाकर विरोधाभासी कथन किये है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त गवाहान के अतिरिक्त अन्य गवाहान पी.ड.4 हंसराज, पी.ड.5 छीतर, पी.ड.6 तुलसीराम, पी.ड.8 मधू, पी.ड.12 कानाराम एवं पी.ड.13 दातार सिंह पक्षद्रोही रहे है । प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त रेखा को लेकर भाग गया था इसलिए ही मुकदमा दर्ज करवाया तथा जो सामान दिया गया था उसका बिल इत्यादि पेश नहीं किया गया है ।

16– जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का प्रश्न है उसमें केवल परिवादिया एवं उसके नातेदारान द्वारा किये गये कथनों के मुख्य परीक्षण को आधारित कर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है उक्त गवाहान के प्रतिपरीक्षण में आये विरोधाभासी तथ्यों बाबत विचारण न्यायालय ने तथ्य आलेखित नहीं किये है जबकि न्यायालय को गवाह के मुख्य परीक्षण एवं उसके प्रतिपरीक्षण में आये तथ्य दोनों को आधारित कर ही अपना निर्णय पारित करना

चाहिए था ।

17– अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण उपरान्त हम प्रकरण की वस्तु स्थिति का अवलोकन करे तो परिवादिया ने न्यायालय के समक्ष जो परिवाद पेश किया है वह अधिवक्ता के माध्यम से पेश किया है, इस परिवाद का सुक्ष्मता से अवलोकन करे तो परिवादिया ने स्वयं का विवाह अभियुक्त के साथ दिनांक 27–04–2009 को होने एवं माता पिता द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिये जाने का कथन किया है । जबकि हस्तगत परिवाद न्यायालय के समक्ष दिनांक 5–7–2013 को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवाह के पांच वर्ष पश्चात परिवाद पेश किया है ।

18– इसके अतिरिक्त परिवादिया ने जिन आरोपों को आधारित किया है उसके अनुसार आरोपी द्वारा स्वयं को नार्मद होने की बताने पर अपने पिता एवं भाई एवं रिश्तेदारों के साथ चिकित्सीय जांच करवाये जाने एवं उमसें नार्मद नहीं होने के तथ्य का ज्ञान होने पर सवर्प्रथम दो लाख रूपये व मोटरसाईकिल मांगे जाने का आरोप अवधारित किया है जबकि अभियुक्त द्वारा उक्त बात परिवादिया को किस दिनांक को समय एवं स्थान पर बताई गई इस बाबत किसी प्रकार का तथ्य अंकित नहीं किया है, इसी प्रकार अभियुक्त की जांच बाबत किसी प्रकार का चिकित्सीय दस्तावेज,रसीद आदि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया जाना स्वयं परिवादिया ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है । ऐसे में यह तथ्य नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने परिवादिया को स्वयं के नामर्द होने का तथ्य बताया हो एवं उसकी चिकित्सीय जांच करवाई गई हो ।

19– परिवादिया ने दिनांक 17–06–2010 को अभियुक्त के प्रशिक्षण पूर्ण कर गांव आने एवं स्वयं को बी एस सी एग्रीकल्चर एम एस सी जोग्राफी बी एड धारी लडकी होने पर उससे घरेलू काम करवाने एवं उसके साथ दहेज की मांग को लेकर गाली गलोच एवं मारपीट करने का कथन किया है । किन्तु सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन करे तो परिवादिया ने अपने परिवाद में किस दिनांक को किस समय किस स्थान पर उसके साथ मारपीट की गई इस बाबत तथ्य आलेखित नहीं किये है। न ही किसी प्रकार की मारपीट बाबत चिकित्सीय प्रतिवेदन अभिलेख पर प्रस्तुत किया है ऐसे में मात्र आरोप प्रत्यारोप लगाने से

उस तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

20– परिवादिया ने स्वंय के परिवाद में एवं अपने कथनों में उससे घरेलू काम काज करवाने एवं प्रताडित करने से गर्भपात होने का आरोप लगाया है किन्तु इस बाबत अपने प्रतिपरीक्षण में किसी दिनांक का ज्ञान नहीं होना एवं इस बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं होना जाहिर किया है ऐसे में यह तथ्य भी नहीं माना जा सकता कि परिवादिया के साथ अभियुक्त ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो।

21– आगे परिवादिया ने स्वयं के गर्भवती होने पर पिता को फोन करने पर उसके पिता के आने पर अपने पीहर आने का एवं जानकी डाक्टर के निर्देशन में उसके पुत्र का होना कथन किया है तथा वर्तमान में पुत्र का 11 वर्ष का होने का कथन किया है । न्यायालय के विनम्र मत में परिवादिया के साथ गर्भवती होने के पश्चात किसी प्रकार की मारपीट एवं क्रूरता कारित की गई एवं उसके पिता के आने पर अपने पीहर आने पर इस तथ्य बाबत परिवादिया अपने पिता को एवं उसका उपचार करने वाले चिकित्सक को इस बाबत बता सकती थी ऐसा भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मारपीट के तथ्यों की पुष्टी होती हो । न्यायालय के विनम्र मत में आरोप बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

22– आगे परिवादिया ने अपने परिवाद में एवं कथनों में यह आरोप लगाया है कि अभियुक्त रेखा नाम की लडकी को लेकर भाग गया था जिसके द्वारा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया गया था इस तथ्य का उसे अखबार के जरिये ज्ञान हुआ । जबकि इस तथ्य बाबत पत्रावली पर आई दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो उक्त प्रकरण में पीडिता रेखा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में किसी प्रकार का बलातसंग नहीं होने का कथन किये जाने एवं अनुसंधान उपरान्त उक्त् प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन पेश किये जाने एवं उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किये के तथ्य को स्वयं परिवादिया ने स्वीकार किया है इस प्रकार रेखा के प्रकरण को लेकर जो आरोप लगाये गये है वह भी प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन पश्चात समाप्त हो जाते है।

23– न्यायालय के विनम्र मत में पति पत्नी के सम्बन्ध आपसी साम्जस्य एवं विचारों की समानता पर ही टीके रहते है, जहां एक पक्ष द्वारा आरोप दूसरे पक्ष पर लगाये जाते है जिनका कोई आधार नहीं होता है उस स्थिति में एक पक्ष जो कि महिला है जिसके द्वारा अंतिम आधार दहेज का प्रकरण होता है उसे आधारित कर प्रकरण पेश किये जाने से उसे दंडित किये जाने का आधार नहीं माना जा सकता है । प्रकरण हाजा में जहां परिवादिया एवं अभियुक्त के मध्य प्रथमत नार्मद होने का आरोप अवधारित किये जाने से परिवादिया की यह मानसिकता प्रकट होती है कि वह स्वयं के मन में जो आरोप है उनको दबाकर अभियुक्त को येन केन फंसाने का आशय रखती है । प्रकरण हाजा में परिवादिया ने आरोप तो लगाये है किन्तु उनका आधार नहीं है एवं विवाह के पांच वर्ष पश्चात आरोपित अपराध बाबत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही की गई है, जबकि ऐसे आरोपों बाबत परिवादिया उच्च अधिकारियों को शिकायत कर सकती थी, किन्तु साक्ष्य के आलोक में उसके पास आरोप बाबत आधार नहीं था ऐसे में उसने विधिक सलाह लेकर न्यायालय के माध्यम से चाराजोही की है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि परिवादिया स्वयं बी एस सी, एम एस सी, बी एड डिक्रीधारी शिक्षित महिला है, उसके साथ हुए क्रूरतापूर्ण व्यवहार को उसने पांच साल तक क्यों सहा इस तथ्य को स्वयं परिवादिया ने स्पष्ट नहीं किया है,जहां परिवादी ने अभियुक्त को नामर्द होने का तथ्य ज्ञान होने का तो कथन किया है किन्तु उसी समय उसके एक पुत्र का जन्म हुआ है । ऐसे में परिवादिया के पास ऐसे सम्यक उपचार उपलब्ध थे तथा वह शिक्षित थी उक्त उपचार का उपयोग कर सकती थी, किन्तु प्रकरण हाजा में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में स्वयं अभियुक्त को भी विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह डी.ड.1 परीक्षित करवाया गया है, इस गवाह ने जिस दिनांक की घटना को लेकर परिवादिया आई है उस समय वह राजकीय सेवा में पुलिस में कार्यरत था, जबकि अभियुक्त ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी पत्नी उसे अपने साथ अपने पीहर में घर जवाई के रूप में रखना चाहती है । इन सभी तथ्यों के आलोक में न्यायालय के विनम्र मत में यहीं प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने उक्त गवाहान की साक्ष्य के दौरान प्रतिपरीक्षण में आये विरोधाभासी कथनों के विपरीत जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किया है । जो किसी भी स्थिति में पुष्ट किये जाने योग्य नहीं होकर हस्तक्षेप किये जाने योग्य है ।

24– उक्त विवेचन विश्लेषण के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी/ अभियुक्त के विरूद्व धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध का आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/ अभियुक्त को उसके विरूद्व आरोपित अपराध धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध कर जो आक्षेपित निर्णय पारित किया है उक्त निर्णय न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलार्थी /अभियुक्त की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

25– परिणामत अपीलार्थी/अभियुक्त **रामजी लाल पुत्र श्री हरचन्द आयु 41 साल निवासी ग्राम भामोलाव पुलिस थाना अराई, जिला अजमेर** की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 225/2024(515/2013) बअनुवान सरकार बनाम रामजी लाल में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 27–06–2025 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी /अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

26– अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त रहे ।

27– विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(नवीन मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश, नसीराबाद

28– निर्णय आज दिनांक 07–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

MANGAL SINGH SHEKHAWAT
Digitally signed by MANGAL SINGH SHEKHAWAT
Date: 2026.03.07 16:11:06 +0530

(नवीन मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश, नसीराबाद